रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 14/2023
उनवान : ज्ञानवंती बनाम नगरपालिका सादडी व अन्य अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रिव्यु प्रार्थना प्रकरण संख्या : 14/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/66

प्रार्थी :-

ज्ञानवंती पत्नी मानसिंह भदोरिया जाति राजपूत निवासी हरिओम नगर, अटोगजी बाग, सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. नगरपालिका सादडी जरिए अधिशाषी अधिकारी, बस स्टैंड के पास, सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. डूंगरसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, जाति राजपुरोहित निवासी मादा तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

याचिका अन्तर्गत न्यायालय में अन्तर्निहित शक्ति (**Inherent Power**) वास्ते विषय क्षेत्र पर कलेक्टर (सीलिंग) पाली श्री राधे श्याम द्वारा राजस्व अपील संख्या 9/2021 (अपीलाण्ट डूंगरसिंह बनाम रेस्पोडेण्ट ज्ञानवंती व एक अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 को प्रारम्भ से ही प्रवृतहीन व शून्य होने से निरस्त किये जाने हेतु।

उपस्थिति:-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चम्पावत।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सुथार।
3. अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

-:निर्णय:-

दिनांक: 27.06.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह रिव्यु प्रार्थना पत्र विरुद्ध न्यायालय में अन्तर्निहित शक्ति (**Inherent Power**) वास्ते विषय क्षेत्र पर कलेक्टर (सीलिंग) पाली श्री राधे श्याम द्वारा राजस्व अपील संख्या 9/2021 (अपीलाण्ट डूंगरसिंह बनाम रेस्पोडेण्ट ज्ञानवंती व एक अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 को प्रारम्भ से ही प्रवतृहीन व शून्य होने से निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि:-

1. आदेश दिनांक 02.09.2021 संचिका पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल है।
2. आदेश दिनांक 02.09.2021 विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरित है।
3. आदेश दिनांक 02.09.2021 क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो प्रारंभ से ही प्रवृतहीन व शून्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 14 / 2023
उनवान : ज्ञानवंती बनाम नगरपालिका सादडी व अन्य अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

4. प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान राजस्थान के स्वायत् शासन विभाग, जयपुर के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)() नियम / डीएलबी / 15 / 5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश की गई थी जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप धारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन संपति के अंतरण और संविदा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।
5. राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 3(50) नविवि / 3 / 2012 दिनांक 31.03.2012 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क की उपधारा (9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे अधिकारी के रुप में अधिकृत किया गया था जिनके समक्ष उक्त उप धारा (9) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना को अतिक्रमित करते हुए उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए दिनांक 20.04.2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार समस्त नगर सुधार न्यासों / प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में धारा 90 क के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा (9) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
6. उपरोक्त कारण से उक्त अपील का प्रस्तुतीकरण ही विषय–क्षेत्र पर अधिकारिता विहीन न्यायालय में किया गया एवं निस्तारण भी विषय क्षेत्र पर अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा ही किया गया है। इसलिए चुनौतिग्रस्त आदेश प्रारंभ से ही विधि के प्रतिकुल होने से शून्य एवं प्रवृतहीन है। इस कारण से ही इस पर अवधि विषयक प्रावधान किंचित–मात्र भी लागु ही नहीं होते है।
7. प्रारंभ से ही शून्य एवं प्रवृतहीन आदेश से न तो कोई अधिकारों का सृजन होता है और ना ही हास तथा ऐसे प्रारंभ से ही शून्य एवं प्रवृतहीन आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौति देने की भी आवश्यकता नहीं होती है और ना ही ऐसे आदेश के विरुद्ध अवधि अधिनियम के प्रावधान लागु होते है।
8. प्रार्थी की ओर से अपील में क्षेत्राधिकारिता से संबंधित आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और माननीय न्यायालय का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया और माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिनांक 02.09.2021 में इसका उल्लेख भी किया गया लेकिन अधिसूचना दिनांक 20.04.2017 की प्रतिलिपी प्रार्थी को दिनांक 8.7.2022 को ही उपलब्ध हुई तथा उसके पठन से ही प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 क की उप धारा (9) के अन्तर्गत भी अपील प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण की अधिकारिता दिनांक 20.04.2017 से संभागीय आयुक्त में निहित है जबकि अपील का प्रस्तुतीकरण दिनांक 14.07.2021 को किया गया है जो स्पष्टतः क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय है और इसकी जानकारी माननीय न्यायालय को भी नहीं होना जबकि समस्त जिला कलेक्टर को एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को अधिसूचना दिनांक 20.04.2017 की प्रति भेजी गई थी। वैसे भी विधि का यह आधारभूत सिद्धांत है:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

Ignorantia juris non excusat अर्थात " ignorance of the law excuses not " Ignorantia legis neminem excusat अर्थात " ignorance of the law excuses no one respectively " तथा अरस्तु के इस सिद्धांत को ही रोमन विधि में भी आधार बनाया गया :– nemo censetur ignorare legem अर्थात nobody is thought to be ignorant of the law कोई भी व्यक्ति, विधि से अनजान होने के कारण विधि के दायित्व से बच नहीं सकता। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विषय क्षेत्र पर अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 02.09.2021 को प्रारंभ से ही प्रवत्तहीन व शून्य होने से निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में पारित किया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र का निम्नानुसार जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 लगाय 08 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट एवं जाहिर होता है कि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से संबंधित होने से न्यायालय में विचारणीय है। उपरोक्त प्रकरण से संबंधित राजस्व अपील संख्या 9/2021 अपीलाण्ट डूगरसिंह बनाम रेस्पोडेण्ट ज्ञानवंती व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 अधिकारिता विहीन न्यायालय पर प्रश्नगत होने से न्यायालय के विचारणीय है।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो ने लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा उक्त याचिका के जरिए प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.09.2021 को क्षेत्राधिकार विहिन न्यायालय द्वारा पारित किया जाना माने जाने की स्थिति में मूल पत्रावली में भी तथाकथित तौर से न्यायालय द्वारा पारित किये जाने तथाकथित आदेश का अंकन किया जाना एवं मूल पत्रावली को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जाना न्यायोचित होगा।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली से तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली में प्रकरण संख्या 09/2021 में दिनांक 02.09.2021 द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया। ऐसा निर्णय 'प्रारम्भत ही शून्य' है, जिस पर मियाद का प्रश्न भी लागु नही होता है। अतः अधिकारिता विहिन न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2021 का रिव्यु करते हुए इसे निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों की पुष्टि हेतु निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:–

1. 2005 2 RLW (RJ) 304 State of Raj. Vs. Sh. Surjeet singh (BoR)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

2. (1999) 1 CTC 640 State of Punjab Vs. Amrik Singh

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने प्रकरण को वैधानिक प्रावधानों के आलोक में तथा गुणावगुण आधार पर विनिश्चत करने का निवेदन किया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो ने वक्त बहस यह निवेदन किया कि यदि प्रार्थीपक्ष आलोच्य निर्णय दिनांक 02.09.2021 से सन्तुष्ट नही था, तो अपील का अवलम्ब ले सकते थे। पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया। आलोच्य प्रकरण संख्या 09/2021 तथा निर्णय दिनांक 02.09.2021 का अवलोकन अध्ययन किया गया। न्यायालय हाजा के समान क्षेत्राधिकार वाले पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली में प्रकरण संख्या 09/2021 दिनांक 14.07.2021 को दर्ज हुआ। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) की उपधारा (9) सपठित धारा 2 राजस्थान विधियाँ (संशोधन) अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त अपील में नगरपालिका सादडी के आदेश क्रमांक/524/2012–13 द्वारा जारी पट्टा संख्या 1417 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था। पूर्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2021 को उक्त अपील को स्वीकार करते हुए नगरपालिका सादड़ी के पत्रावली क्रमांक 524 वर्ष 2012–13 में आदेश व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा क्रमांक 1417 को अपास्त किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने यह अंकित किया है कि प्रकरण संख्या 09/2021 में बहस के दौरान उनके द्वारा न्यायालय को यह अवगत भी कराया था कि अधिसूचना क्रमांक 5843 दिनांक 10.06.2016 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के अधीन संपति के अन्तरण और संविदा से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संभागीय आयुक्त अधिकृत है, न कि जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर। आलोच्य निर्णय दिनांक 02.09.2021 के पृष्ठ संख्या 12 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आशय का अंकन भी किया गया है कि:–

"...........रेस्पोडेण्ट ने बहस में यह जाहिर किया कि धारा 73 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत भूमि अंतरण के प्रावधान बने हुए है जिससे अपील माननीय संभागीय आयुक्त को की जानी जाहिए थी जबकि उक्त भूमि का अधिकार क्षेत्र पट्टे जारी करने से सम्बन्धित नगरपालिका को धारा 90(A) के तहत विशेष अधिकार प्रदत्त कर रखे है और उससे की गई तमाम कार्यवाही को धारा 90(ए) उपधारा 9 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 2 राजस्थान विध्या संशोधन अधिनियम 2012 के तहत इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार दे रखा है......।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 09/2021 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) की उपधारा (9) के अन्तर्गत दिनांक 02.09.2021 को निर्णीत किया गया था।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 14 / 2023
उनवान : ज्ञानवंती बनाम नगरपालिका सादडी व अन्य अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

यह सत्य है कि स्थानीय स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक / न वि वि / 3 / 2012 दिनांक 31.05.2012 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07.10.2014 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ए) की उपधारा (9) के अन्तर्गत अपील सुनने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया था।

किन्तु नगरीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2017 में पूर्वोक्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए नवीन अधिसूचना क्रमांक / न वि वि / 3 / 2012 दिनांक 20.04.2017 जारी की गई तथा उक्त धारा 90 (ए) की उपधारा (9) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर के स्थान पर सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया।

इस प्रकार पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली में आलोच्य प्रकरण संख्या 09 / 2021 दर्ज होने से पूर्व ही (दायरा दिनांक 14.07.2021) ऐसी अपील सुनने हेतु माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त को अधिकृत कर दिया गया था।

ज़ाहिर है कि पूर्व न्यायालय को आलोच्य प्रकरण संख्या 09 / 2021 में न तो सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त था और न ही उसे निर्णीत करने का। अतः प्रार्थीपक्ष का यह तर्क सिद्ध होता है कि प्रकरण संख्या 09 / 2021 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2021 क्षेत्राधिकार से इतर पारित निर्णय है एवं ऐसा अधिकारिता विहिन निर्णय विधि की दृष्टि मे 'प्रारम्भतः ही शून्य' (ab initio void) निर्णय है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते है तथा उक्त नज़ीरो के आधार पर प्रार्थीपक्ष का यह तर्क भी स्वीकार किया जाता है कि ऐसे अधिकारिता विहिन निर्णय के विरुद्ध अवधि अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते है।

संक्षेप मे, न्यायालय हाजा के समान क्षेत्राधिकार वाले पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली द्वारा प्रकरण संख्या 09 / 2021 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 02.09.2021 के अवलोकन मात्र से ही अर्थात् Face of the record से ही यह त्रुटि परिलक्षित हो जाती है कि उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित अधिकारिता विहिन निर्णय है।

अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा सुनवाई के किसी भी स्तर पर यह ज़ाहिर भी नहीं किया है कि आलोच्य निर्णय दिनांक 02.09.2021 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 उपधारा (2) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 4(2) में उपबन्धित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के समान क्षेत्राधिकार वाले पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग),पाली द्वारा प्रकरण संख्या 09 / 2021 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 02.09.2021 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण संख्या 09 / 2021 में प्रस्तुत मूल अपील मीमों रेस्पोडेण्ट संख्या दो को सक्षम न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला ... बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

में प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जाए तथा इस निर्णय की प्रति मूल प्रकरण संख्या 09/2021 में सलंग्न नत्थी की जाए।

निर्णय आज दिनांक **27.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण संख्या 09/2021 का मूल रिकॉर्ड पालना उपरांत पूर्व न्यायालय को पुनप्रेषित किया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली